

### प्रारूप-3

भाग-2 (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

16. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति

(i) राज्य/संघराज्यक्षेत्र

उत्तराखण्ड

(ii) जिला

पिंडियारामद

(iii) जिला वन प्रभाग

पिंडियारामद वन प्रभाग

(iv) पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र

58.4497 हेक्टर

17. पूर्वक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति:

सिविल स्टेप्प, वन पेचपत.

18. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का व्यौरा:

(i) वन का प्रकार

सिविल

कृष्ण

(ii) वनस्पति का औसत पूर्ण धनत्व

14

(iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिणामना

स्लेग

(iv) पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा

स्लेग

19. भूक्षण के लिए पूर्वक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षणिता पर संक्षिप्त टिप्पणी

25 Km.

20. वन भूमि की सीमा से पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी:

ललग है

21. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्वता :

(i) पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का व्यौरा :

स्लेग

(ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याध रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अत्प्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपावद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की ओर टीका टिप्पणियाँ उपावद्ध की जाएं)

नहीं

(iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याध रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियाँ उपावद्ध की जाएं)

नहीं

(iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याध रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वक्षण के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियाँ उपावद्ध की जाएं)

साता

(v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किसम के खतरे की प्रजातियाँ हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे

नहीं

22. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातात्त्वीय या विरासत रथल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपावद्ध किए जाने के लिए संक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दें)

नहीं

23. पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियाँ दें :

स्लेग है

(i) क्या भाग-1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए आति न्यूनतम है।

नहीं

(ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है।

नहीं

24. किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे :

(i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हाँ/नहीं)

नहीं

(ii) यदि हाँ, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्वलित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरुद्ध की गई कार्यवाही

नहीं

(iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हाँ/नहीं)

नहीं

नहीं

25. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे :

स्लेग है

(i) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति।

सिविल के भूमि

(ii) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्यौरे दें।

स्लेग है

(iii) क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीक्ष्य वन सीमाएं संलग्न हैं।

स्लेग है

(iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों का वर्णन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं (हाँ / नहीं)।

(v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय : संलग्न है

(vi) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचानर किए गए क्षेत्र की युवितयुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण-पत्र संलग्न हैं (हाँ/नहीं)।

26. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित क्याकलापों के समाधान से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की रथल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हाँ/नहीं)।

27. स्थान: पिंडियांग तारीख: २८-७-२०१८ प्रस्ताव संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों  
अप्रसारित पुकार का विभाग अप्रसारित पुकार का विभाग  
हस्ताक्षर नाम: शासकीय मुद्रा  
राज्य संघ बाई द्वारा लगाइ गए  
विषय का उल्लेखन किया जाएगा।

तारीख: २८-७-२०१८

ଶାସକାବ୍ୟ ମୁଦ୍ରା

हस्ताक्ष

नाम

आसक्तीय महा

2

11

ଶାର୍କପାତ୍ର ପୁରୀ

۴۹۱

1

प्रपत्र : 2

परियोजना : पिथौरागढ से जौलजीबी 220 के 0वी0 डबल सर्किट लाईन और जौलजीबी मे धौलीगंगा से बरेली 400 के 0वी0 डबल सर्किट लाईन के ली0लो0 का निर्माणकार्य ।

क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव / परियोजना/ स्कीम का संक्षिप्त विवरण ।

पिथौरागढ से जौलजीबी 220 के 0वी0 डबल सर्किट लाईन और जौलजीबी मे धौलीगंगा से बरेली 400 के 0वी0 डबल सर्किट लाईन के ली0लो0 का निर्माणकार्य ।

ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के वनों की संलग्न है ।  
सीमाओं को दर्शाने वाला मैप ।

ग) परियोजना की लागत ।

रु. 431994022.354

घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य ।

धौलीगंगा परियोजना द्वारा उत्पादित विधुत ऊर्जा के निकास और उत्तराखण्ड और उत्तरी क्षेत्र मे विधुत व्यवस्था मे गुणात्मक सुधार हेतु एक ऐसा संरेखण जिसमे वन भूमि की माग न्यूनतम है ।

लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)  
रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है ।

संलग्न है ।

लाईन के निर्माण कार्य मे स्थानिय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे ।

3. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण:

वन पंचायत भूमि 45.0884 हे0, सिविल सोयम भूमि 13.3613 हे0 और निजी भूमि 38.3657 हे0.

2. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है लागू नही

क) परिवारों की संख्या

लागू नही

घ) अनुसूचित जाति / जनजाति के परिवारों की संख्या

लागू नही

ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)

लागू नही

4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ?(हाँ / नही)

नही

5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरकवनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्रआदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता(वचनवद्धता संलग्न की जाये)

प्रमाण पत्र संलग्न है ।

2. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का विषय सूची के अनुसार व्यौरा ।

• दिनांक 20/01/2018  
स्थान - Pithoragarh

प्रयोक्ता एजेंसी

  
Asst. General Manager  
Power Grid Corporation of India Limited  
400 KV GIS, Pithoragarh, Pithoragarh



loc MD - 2710 2370



इन्हीं के अधिकारी  
सिंहगढ़ व इसके

14.8.2019